

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-257/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० चंदन कुमार तिवारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर के दिनांक-15.09.2020 से 31.01.2023 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-15.09.2020 को	- कर्तव्य अवधि के रूप में।
ii	दिनांक-16.09.2020 से 13.08.2022 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
iii	दिनांक-14.08.2022 से 30.08.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-130 के आलोक में)
iv	दिनांक-31.08.2022 से 07.09.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
v	दिनांक-08.09.2022 से 12.09.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
vi	दिनांक-13.09.2022 से 31.01.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।

2 प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-257/2025- 1900 (3) पटना, दिनांक 7/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० चंदन कुमार तिवारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

35/8/2026
सरकार के अवर सचिव